न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर

पीठासीन अधिकारी का नाम : सुश्री श्वेता कोचर (आर0ए0एस0)

वाद सं0 : 22 सन 2021

अनवान :—

1. शान्ति पत्नी चुन्नीराम जाति जाट साकिन राणीसर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

प्रार्थी

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।

अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र बाबत दुरूस्ती अन्तर्गत धारा 136 भू–राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थित :— श्री नरेन्द्र किशोर जोशी अधिवक्ता प्रार्थी

निर्णय दिनांक :— 18/08/2021

सक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि प्रार्थी ने जरिये अधिवक्ता यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल.आर.एक्ट के तहत पेश किया जाकर निवेदन किया कि रोही मौजा उदासर बडा के खाता संख्या 6 के खसरा न0 192/1 की 4.6290हैक्‍ खसरा न0 199 की 0.8850हैक्‍ कुल 5.5140हैक्‍ भूमि जिसमें सयुक्त तौर से 1/3 हिस्सा भूमि सायल का खातेदार काश्तकार है

सायला का नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज करते समय उच्चारण के कारण सन्तो दर्ज हो गया जबकि सायला का सही नाम शान्ति है यही नाम अन्य सभी दस्तावेजात में दर्ज है सायला का गलत नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज रहने से सायला के खातेदारी अधिकारों का हनन होता है।

सायला का नाम अन्य दस्तावेजात जैसे मतदाता फोटा पहचान पत्र , आम आदमी का आधार कार्ड , परिवार राशन कार्ड , परिवार भामाशाह कार्ड सभी में वादी का नाम शान्ति पत्नी चुन्नीराम दर्ज है सहवन से राजस्व रिकार्ड में सायला का नाम गलत तौर से दर्ज हुआ है इसलिये सायला अपना नाम राजस्व रिकार्ड में संशोधन करवाने का अधिकारी है

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर रोही मौजा उदासर बडा के खाता संख्या 6 के खसरा न0 192/1 की 4.6290हैक्‍ खसरा न0 199 की 0.8850हैक्‍ कुल 5.5140हैक्‍ भूमि जिसमें सयुक्त तौर से 1/3 हिस्सा भूमि में सायला का नाम सन्तो पत्नी चुन्नीराम के स्थान पर शान्ति पत्नि चुन्नीराम संशोधन करने के आदेश फरमावे।

प्राथ्री का प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को तलब किया गया अप्रार्थी संख्या 1 की और से पेरोकार राज उपस्थित आकर जबाब पेश किया गया की प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात साक्ष्य सबुतो के आधार पर राज्य हको को सुरक्षित रखते हुए प्रार्थना पत्र का निस्तारण किया जाना उचित है ।

वकील प्रार्थी के अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया की रोही मौजा उदासर बडा के खाता संख्या 6 के खसरा न0 192/1 की 4.6290हैक्‍ खसरा न0 199 की 0.8850हैक्‍ कुल 5.5140हैक्‍ भूमि जिसमें सयुक्त तौर से 1/3 हिस्सा भूमि सायल का खातेदार काश्तकार है

सायला का नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज करते समय उच्चारण के कारण सन्तो दर्ज हो गया जबकि सायला का सही नाम शान्ति है यही नाम अन्य सभी दस्तावेजात में दर्ज है सायला का गलत नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज रहने से सायला के खातेदारी अधिकारों का हनन होता है।

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

सायला का नाम अन्य दस्तावेजात जैसे मतदाता फोटा पहचान पत्र , आम आदमी का आधार कार्ड , परिवार राशन कार्ड , परिवार भामाशाह कार्ड सभी में वादी का नाम शान्ति पत्नी चुन्नीराम दर्ज है सहवन से राजस्व रिकार्ड में सायला का नाम गलत तौर से दर्ज हुआ है इसलिये सायला अपना नाम राजस्व रिकार्ड में संशोधन करवाने का अधिकारी है

पेरोकार राज ने अपनी बहस में अपने जबाब में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया की वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतो के आधार पर प्रार्थना पत्र का निस्तारण किया जाना उचित है।

हमने उभयपक्षों की बहस सुनी पत्रावली का अवलोकन किया रोही मौजा उदासर बडा के खाता संख्या 6 के खसरा न0 192/1 की 4.6290हैक खसरा न0 199 की 0.8850हैक कुल 5.5140हैक भूमि जिसमें सयुक्त तौर से 1/3 हिस्सा भूमि सायल का खातेदार काश्तकार है जिसमें सायला का नाम सन्तो पत्नी चुन्नीराम दर्ज है।

उक्त भूमि की सायल खातेदार काश्तकार है जिसमें सायला का नाम सन्तो पत्नी चुन्नीराम दर्ज है। सायला का कथन है कि उसका सही नाम शान्ति पत्नि चुन्नीराम है यही नाम अन्य दस्तावेजात में भी दर्ज है सहवन से राजस्व रिकार्ड में दर्ज हुआ है जिसे संशोधन करवाना चाहती है गलत नो से सायला के खातेदारी अधिकारों का हनन होता है

सायला के द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात मतदाता फोटा पहचान पत्र , आम आदमी का आधार कार्ड , परिवार राशन कार्ड, परिवार भामाशाह कार्ड सभी में सायला का नाम शान्ति पत्नि चुन्नीराम दर्ज है जिससे प्रतीत होता है कि सहवन से राजस्व रिकार्ड में सायला का नाम गलत तौर से दर्ज हुआ है नाम संशोधन करने से राज्यहकों को कोई नुकसान नही है बल्की राजस्व रिकार्ड ही संशोधन होता है प्रस्तुत साक्ष्यों के अनुसार सायला नाम संशोधन करवाने की अधिकारी है।

अतः सायला का प्रार्थना पत्र साक्ष्य सबुतों के आधार पर स्वीकार योग्य होने के कारण स्वीकार किया जाता है कि रोही मौजा उदासर बडा के खाता संख्या 6 के खसरा न0 192/1 की 4.6290हैक खसरा न0 199 की 0.8850हैक कुल 5.5140हैक भूमि जिसमें सयुक्त तौर से 1/3 हिस्सा में अंकित सन्तो पत्नी चुन्नीराम के स्थान पर शान्ति उर्फ सन्तो पत्नि चुन्नीराम संशोधन किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय प्रार्थना पत्र उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो ।

निर्णय आज दिनांक 18/8/2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बसरे ईजलास में सुनाया गया ।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर नोहर

क्रमांक : राजस्व / रीडर / 2020 / दिनांक :–

तहसीलदार राजस्व

नोहर ।

विषय :– प्रकरण संख्या 22 / 2020 अनवानी शान्ति बनाम सरकार में पारित निर्णय की पालना करवाने के सम्बध मे।

प्रंसग :– अनवान :–

1. शान्ति पत्नि चुन्नीराम जाति जाट निवासी राणीसर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

प्रार्थी

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।

अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र बाबत दुरूस्ती अन्तर्गत धारा 136 भू–राजस्व अधिनियम 1956

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि प्रकरण संख्या 22 / 2021 अनवानी शान्ति बनाम सरकार में दिनांक 18/08/2021 को निर्णय पारित किया जाकर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर रोही मौजा उदासर बडा के खाता संख्या 6 के खसरा न0 192 / 1 की 4.6290हैक खसरा न0 199 की 0.8850हैक कुल 5.5140हैक भूमि जिसमें सयुक्त तौर से 1 / 3 हिस्सा में अंकित सन्तो पत्नी चुन्नीराम के स्थान पर शान्ति उर्फ सन्तो पत्नि चुन्नीराम संशोधन किये जाने आदेश पारित किये गये है तदानुसार राजस्व रिकार्ड में संशोधन किया जाना सुनिश्चित करे।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)

उपखण्ड अधिकारी
नोहर